[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2026

RCD-09002/1/2026-Regulatory-FSSAI

फाइल सं. ..... खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप विनियम, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी;

आक्षेप अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में, -

(1) अनुसूची IV, जो सुझावात्मक पैकेजिंग सामग्रियों की सूची से संबंधित है, में क्रम संख्या 10 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

11.	पान मसाला	(क) कागज, पेपर बोर्ड, सेलूलोज़ या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सामग्री—ऐसी सामग्री में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिएस्टर, पीवीसी या कोई भी सिंथेटिक पॉलिमर, को-पॉलिमर या लैमिनेट शामिल हैं। साथ ही इसमें एल्युमिनियम फॉयल या धातुयुक्त (मेटलाइज्ड) परतें भी नहीं होनी चाहिए। (ख) टिन या कांच के कंटेनर। (ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (f) और (i), जो नीचे उद्धृत हैं, भी लागू होंगे: "4(1)(f) प्लास्टिक सामग्री से बने सैशे का उपयोग गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा; 4(1)(i) प्लास्टिक सामग्री, किसी भी रूप में, जिसमें विनाइल एसीटेट - मैलिक एसिड - विनाइल क्लोराइड को-पॉलिमर भी शामिल है, का उपयोग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के किसी भी रूप की पैकेजिंग में नहीं किया जाएगा।"

राजित पुनहानी
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

नोट - खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1-95/Stds/Packaging/SP(L&C/A)/FSSAI-2017, दिनांक 24 दिसंबर, 2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए:

1. फा. सं. Std/SP-08/A-1.2019/N-01, दिनांक 25 जनवरी, 2022;
2. फा. सं. Std/SP-20/T(Migration-N), दिनांक 30 अगस्त, 2022; तथा
3. फा. सं. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N), दिनांक 28 मार्च, 2025।